राजस्व वाद 96/2019
जीसीएमएस नंबर 2019/00145
भंवर सिंह बनाम् प्रहलाद सिंह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 96/2019

वादीगण–

1. भंवरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह, जाति– राजपूत निवासी–रोहिणा,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. प्रहलाद सिंह पुत्र सुगनसिंह ,जाति–राजपूत निवासी–रोहिणा, तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोहिणा तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 63, 148, 298,1382/336,337 में वादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 4159 दिनांक 22.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भवंरसिंह के हक बंट में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 63 रकबा 15.11 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद सिंह के हक बंट में खेत खसरा नंबर 148 रकबा 10 बीघा, खसरा नंबर 298 रकबा 38.05 बीघा, खसरा नंबर 299 रकबा 0.04 बीघा गैर मुमकिन वाड़ा, खसरा नंबर 1382/336 रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 337 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नंबर 1384/151 रकबा 4.14 बीघा यथावत रखे जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ...09/11/2021... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

09/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner